न्यायालय–जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : रामेश्वर प्रसाद चौधरी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या : 22/2025 मु.दी.
सी.आई.एस नंबरः–22/2025
सी.एन.आर. नंबर–RJSA01-0006322025

श्रीमती प्रमिला पुत्री (दत्तक) स्व. शांतिलाल जी जैन (सिंघवी)
निवासी सलूम्बर एवं पति निर्मल कुमार जैन, निवासी जैताणा, तह. झल्लारा जिला–सलूम्बर हाल निवासी प्लोट नं. 13 मेहन्दी बाग रोड, महेन्द्र किराणा स्टोर के पास जय भोले नगर, डॉ. अम्बेडकर मार्ग, नागपुर (महा.)

.....**प्रार्थीया**

बनाम

1. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय जोधपुर शाखा सलूम्बर जरिए शाखा प्रबंधक, शाखा सलूम्बर जिला–सलूम्बर(राज.)
2. समस्त आमजन कस्बा, सलूम्बर जिला–सलूम्बर(राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 372, 373 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

उपस्थितः–
1. श्री गोविंदलाल डांगी, अधिवक्ता–प्रार्थीया की ओर से।
2. विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय है।
3. विपक्षी संख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

–::आदेश::–

दिनांक 09.04.2026

1. प्रार्थीया श्रीमती प्रमिला की ओर से विरूद्ध विपक्षीगण हस्तगत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 372, 373 उत्तराधिकार अधिनियम का दिनांक 23.01.2024 को पेश किया गया, जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि–प्रार्थीया का जन्म 08.12.1982 को कस्बा सलूम्बर में निहाचंद पुत्र त्रिलोक चंद बीसा नागदा जैन सिंघवी एवं श्रीमती रूकमणी बाई की कोख से हुआ था, जो प्रार्थीया के प्राकृतिक माता–पिता है। प्रार्थीया को उसके उक्त प्राकृतिक माता–पिता ने प्रार्थीया के पिता के बडे भाई

शांतिलाल एवं उनकी पत्नी लक्ष्मी बाई को दिनांक 04.10.1984 को करीब 02 वर्ष की उम्र में हिन्दू एवं जैन रीति, रिवाज से असली माता ने उठाकर गोदी माता–पिता को गोद में दी थी, जिन्होंने प्रार्थीया को बेटी के रूप में सहर्ष लेना स्वीकार किया और प्रार्थीया की परवरिश कर प्रार्थीया की दिनांक 08.12.1997 को श्री निर्मल कुमार जैन निवासी जैताणा से शादी करवाई। वर्तमान में प्रार्थीया पति के साथ नागपुर रह रही है। प्रार्थीया के गोदी माता–पिता के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं थी। प्रार्थीया को गोद देने के बाद उसका प्राकृतिक माता–पिता एवं रिश्ता समाप्त हो गया एवं गोदी माता–पिता से हमेशा के लिए रिश्ता जुड गया।

प्रार्थनापत्र में आगे अभिवचन किया गया है कि प्रार्थीया के दत्तक पिता ने विपक्षी बैंक में दिनांक 12.07.2022 को 3,00,000/–रूपये एक एफडी एक वर्ष की अवधि के लिए तथा दूसरी दिनांक 03.02.2021 को 1,60,621/–रूपये की एक वर्ष की अवधि के लिए कराई थी। उक्त दोनों एफडी परिपक्व हो चुकी है। प्रार्थीया के दत्तक पिता शांतिलाल जी का निधन दिनांक 18.12.2024 को हो गया एवं दत्तक माता का निधन दिनांक 29.06.2014 को हो गया है। अब केवल मात्र प्रार्थीया ही क्लासवन वारिस जिन्दा है तथा उसके अलावा शांतिलाल के कोई क्लासवन वारिस नहीं है। प्रार्थीया को उक्त दोनों एफडी में नोमिनी दत्तक पिता ने कर रखा था किन्तु शाखा प्रबंधक का कथन है कि दत्तक पिता ने आपको गोद ले रखा, उसका कोई दस्तावेजी सबूत लाओ, जो प्रार्थीया के पास नहीं है। प्रबंधक की दूसरी आपत्ति यह थी कि प्रार्थीया के आधार कार्ड नं. 656586953950 में प्रमिला जैन पति निर्मल जैन लिखा है जबकि एफडी में दत्तक पिता का नाम निहालचंद पुत्र त्रिलोकचंद सिंघवी लिखा है, इस पर प्रार्थीया ने कहा कि दत्तक पिता की जाति बीसा नागदा जैन है एवं सिंघवी हमारा गौत्र है तथा प्रार्थीया की शादी निर्मल जैन से होने से बाद में प्रार्थीया अपने नाम के आगे जैन लिखती है परन्तु शाखा प्रबंधक इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आप उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र लाओ तब ही दोनों एफडी की राशि आपको दी जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की गाईड लाइन के संबंध में आदेश 31.03.2000 से प्रभावी है, जिसमें पांच लाख रूपयों से कम राशि बैंक में जमा है तो बिना विरासत प्रमाणपत्र ग्राहकों को लौटा देवे परन्तु शाखा प्रबंधक किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है व एफडी राशि नहीं लौटा रहे हैं। प्रार्थीया ने बैंक को अपने वकील से रजि. सूचना पत्र दिनांक 08.10.2025 को भिजवाया किन्तु एफडी राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए यह प्रार्थनापत्र पेश

किया जा रहा है। प्रार्थीया एफडी धारक की गोदी पुत्री है, यह बात जैन समाज के कई गणमान्य वरिष्ठजन जानते है तथा निहालचंद जी ने लॉकर में भी प्रार्थीया का नाम विपक्षी बैंक में जोड रखा है। आवेदनपत्र आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर प्रार्थनापत्र निश्चित न्यायशुल्क पर मय शपथपत्र पेश है। अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 में वर्णितानुसार दोनों एफ.डी. राशि की मूल राशि एवं उन पर अदायगी की दिनांक तक जो ब्याज बने वह राशि प्रार्थीया को भगतान करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

3. विपक्षी संख्या 01 की ओर से प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थीया के अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार किया है तथा मुख्य रूप से अभिवचन किया गया है कि प्रार्थी गोद गई, यह बात पंजीकृत दस्तावेज से साबित कराये। उसके अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि शांतिलाल ने प्रार्थीया को गोद लिया हो। प्रार्थीया की जैन विधि के अनुसार गोद नहीं रखा है। अन्त में प्रार्थनापत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. उपरांत में विपक्षी संख्या 01 के स्वयं या उसके किसी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 09.02.2026 को कार्यवाही एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए, आज आज दिवस तक प्रभावी है।

4. प्रार्थीया की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी ड 1 के रूप में प्रार्थीया श्रीमती प्रमिला का मुख्य परीक्षा शपथपत्र पेश कर स्वयं को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया तथा दस्तजावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 प्रदर्श से प्रदर्श 09 तक को प्रदर्शित करवाया गया।

5. बहस अंतिम एक पक्षीय सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थीया की ओर से दौराने बहस प्रार्थनापत्र के अभिवचनों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र के जरिए चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है।

7. प्रार्थीया की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी ड 1 के रूप में स्वयं प्रार्थीया का मुख्य परीक्षा का शपथपत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया है। प्रार्थीया ने मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के अभिवचनों को दोहराया है तथा मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रार्थीया का जन्म 08.12.1982 को कस्बा सलूम्बर में निहाचंद पुत्र त्रिलोक चंद बीसा नागदा जैन सिंघवी एवं श्रीमती रूकमणी बाई की कोख से

हुआ था, जो प्रार्थीया के प्राकृतिक माता–पिता है। प्रार्थीया को उसके उक्त प्राकृतिक माता–पिता ने प्रार्थीया के पिता के बडे भाई शांतिलाल एवं उनकी पत्नी लक्ष्मी बाई को दिनांक 04.10.1984 को करीब 02 वर्ष की उम्र में हिन्दू एवं जैन रीति, रिवाज से असली माता ने उठाकर गोदी माता–पिता को गोद में दी थी, जिन्होंने प्रार्थीया को बेटी के रूप में सहर्ष लेना स्वीकार किया और प्रार्थीया की परवरिश कर प्रार्थीया की दिनांक 08.12.1997 को श्री निर्मल कुमार जैन निवासी जैताणा से शादी करवाई। वर्तमान में प्रार्थीया पति के साथ नागपुर रह रही है। प्रार्थीया के गोदी माता–पिता के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं थी। प्रार्थीया को गोद देने के बाद उसका प्राकृतिक माता–पिता एवं रिश्ता समाप्त हो गया एवं गोदी माता–पिता से हमेशा के लिए रिश्ता जुड गया। प्रार्थीया के दत्तक पिता ने विपक्षी बैंक में दिनांक 12.07.2022 को 3,00,000/–रूपये एक एफडी एक वर्ष की अवधि के लिए तथा दूसरी दिनांक 03.02.2021 को 1,60,621/–रूपये की एक वर्ष की अवधि के लिए कराई थी। उक्त दोनों एफडी परिपक्व हो चुकी है। प्रार्थीया के दत्तक पिता शांतिलाल जी का निधन दिनांक 18.12.2024 को हो गया एवं दत्तक माता का निधन दिनांक 29.06.2014 को हो गया है। अब केवल मात्र प्रार्थीया ही क्लासवन वारिस जिन्दा है तथा उसके अलावा शांतिलाल के कोई क्लासवन वारिस नहीं है। प्रार्थीया को उक्त दोनों एफडी में नोमिनी दत्तक पिता ने कर रखा था किन्तु शाखा प्रबंधक का कथन है कि दत्तक पिता ने आपको गोद ले रखा, उसका कोई दस्तावेजी सबूत लाओ, जो प्रार्थीया के पास नहीं है। प्रबंधक की दूसरी आपत्ति यह थी कि प्रार्थीया के आधार कार्ड नं. 656586953950 में प्रमिला जैन पति निर्मल जैन लिखा है जबकि एफडी में दत्तक पिता का नाम निहालचंद पुत्र त्रिलोकचंद सिंघवी लिखा है, इस पर प्रार्थीया ने कहा कि दत्तक पिता की जाति बीसा नागदा जैन है एवं सिंघवी हमारा गौत्र है तथा प्रार्थीया की शादी निर्मल जैन से होने से बाद में प्रार्थीया अपने नाम के आगे जैन लिखती है परन्तु शाखा प्रबंधक इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आप उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र लाओ तब ही दोनों एफडी की राशि आपको दी जा सकेगी।

इस गवाह ने अभिलेखीय साक्ष्य में स्वयं के दस्तक पिता शांतिलाल के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति प्रदर्श 4 ए तथा माता लक्ष्मी बाई के मृत्य प्रमाणपत्र की प्रति प्रदर्श 6 तथा एफडी तादादी 1,60,621 की फोटो प्रति प्रदर्श 1 ए तथा एफडी तादादी 3,00,000/–प्रदर्श ए 2 पेश की है।

यद्यपि इस मामले में विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया है किन्तु विपक्षी संख्या 01 ने अपने उक्त जवाब के समर्थन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसे में विपक्षी संख्या 01 की ओर प्रस्तुत जवाब साक्ष्य से समर्थित नहीं होने से विश्वास अथवा विचार में लिए जाने योग्य नहीं रह जाता है।

इस मामले में प्रार्थीया की ओर से प्रदर्श 8 के रूप में प्रतिज्ञापत्र मूल पेश किया गया, जिसका अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि इसमें प्रार्थीया के प्राकृतिक पिता निहालचंद द्वारा कथन किया गया है कि उसने अपनी बेटी यानी कि प्रार्थीया प्रमिला जब दो वर्ष की थी तब उसे स्वयं के बडे भाई शांति व उनकी पत्नी लक्ष्मी बाई के कोई संतान नहीं होने से उनको दे दी तथा शांति ने बेटी को स्वीकार कर गोद में बिठाया। प्रमिला की परवरिश, शादी वगैरा सभी की सभी रस्मे शांतिलाल ने निभाई थी। उसने प्रमिला को 04.10.1984 को गोद दिया था। उसके भाई शांतिलाल का दिनांक 18.12.2024 को तथा शांतिलाल की पत्नी का दिनांक 19.06.2014 को निधन हो गया है, इसलिए उनकी एक मात्र वारिस प्रमिला जैन है।

8. प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अभिवचन एवं प्रार्थीया की प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का कोई खंडन विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश कर नहीं किया गया है और प्रतिज्ञापत्र प्रदर्श 8 के अनुसार प्रार्थीया को दत्तक पिता शांतिलाल के यहां दिनांक 04.10.1984 को गोद दिया जाना तथा शांतिलाल का दिनांक 18.12.2024 को तथा शांतिलाल की पत्नी का दिनांक 19.06.2014 को निधन हो जाना प्रकट होता है कि प्रार्थीया ही उनकी एक मात्र क्लासवन वारिस होना प्रकट होता है। इसलिए प्रार्थीया प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 में वर्णितानुसार दोनों एफडी में जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त करने की तथा प्रार्थीया श्रीमती प्रमिला के नाम का उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक की दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्टि होने के कारण प्रार्थीया की से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

—::<u>आदेश</u>::—

9. (1) अतः प्रार्थीया श्रीमती प्रमिला पुत्री (दत्तक) स्व. शांतिलाल जी जैन (सिंघवी),निवासी सलूम्बर एवं पति निर्मल कुमार जैन, निवासी जैताणा, तह. झल्लारा,जिला—सलूम्बर हाल निवासी प्लोट नं. 13 मेहन्दी बाग रोड, महेन्द्र किराणा

स्टोर के पास जय भोले नगर, डॉ. अम्बेडकर मार्ग, नागपुर (महा.) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 372, 373 उत्तराधिकार अधिनियम इस आशय का स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया श्रीमती प्रमिला जैन स्व. शांतिलाल जी जैन (सिंघवी),निवासी सलूम्बर की दत्तक पुत्री होने के कारण उत्तराधिकारी होने से प्रार्थीया श्रीमती प्रमिला जैन द्वारा आज दिनांक से **एक माह** के भीतर नियमानुसार न्यायशुल्क अदा करने पर मृतक स्व. श्री शांतिलाल के द्वारा प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 में वर्णितानुसार दोनों एफडी में जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी कर दिया जावे।

(2) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाने तक इस आदेश की प्रतिलिपि जारी नहीं की जावे।

(3) प्रार्थीया श्रीमती प्रमिला जैन की ओर से इस आशय की अण्डर टेकिंग पेश की जावे कि भविष्य में स्व. शांतिलाल जैन के उक्त दोनों एफडी में जमा राशि का अन्य दावेदार होने पर वह न्यायालय के आदेशानुसार राशि लौटाने को बाध्य होगी।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)

10. आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामेश्वर प्रसाद चौधरी)
जिला न्यायाधीश, सलुम्बर(राज.)